कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 341/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 28.08.2026

प्रेस नोट, दिनांक – 28.08.2026
थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

☐ परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की पहल से टूटने की कगार पर पहुंचा परिवार फिर जुड़ा, 01 प्रकरण में कराया गया सफल समझौता।

☐ पत्रावली में दोनों पक्षों को नोटिस/दूरभाष के माध्यम से बुलाकर की गई काउंसलिंग

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 28.08.2026 को थाना कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में 01 पत्रावली के दोनों पक्षों को फोन/नोटिस के माध्यम से सूचित कर मिडिएशन हेतु बुलाया गया, जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित हुए। परामर्शदात्री टीम द्वारा अथक प्रयास कर प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य सफलतापूर्वक समझौता कराया गया।

प्रकरण में आवेदिका द्वारा आरोप लगाया गया था कि पति व ससुराल वालों द्वारा कम दान-दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना तथा समस्त स्त्रीधन छींनकर घर से भगा देना के मामले में दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर पारिवारिक विवाद का समाधान कराया गया।

कुल समझौते– 01
समझौता प्राप्त पक्षकार-
खुशबू कुरैशी उर्फ जीनत पुत्री सोहराब कुरैशी ग्राम- जालन्धरी, थाना-कोतवाली, जनपद-आजमगढ़ ।

उपस्थित पुलिस कर्मी-
उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी, उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता, महिला आरक्षी नेहा सिंह परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई-किरण, पुलिस कार्यालय जनपद आजमगढ़ ।

नई किरण प्रोजेक्ट बिखरे हुए परिवारों को आपसी संवाद एवं समझौते के माध्यम से पुनः एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास है। इसके माध्यम से पारिवारिक विवादों का आपसी सहमति से समाधान कर परिवारों में पुनः सौहार्द एवं विश्वास स्थापित करने तथा माननीय पारिवारिक न्यायालय के कार्यभार को कम करने में सहयोग किया जा रहा है।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक–28.08.2026
थाना–सरायमीर, जनपद–आजमगढ़

□ नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं परिजनों को मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना सरायमीर पर दिनांक 27.08.2026 को वादी मुकदमा द्वारा तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिग बहन पढ़ने गयी थी। घर वापस आते समय सुल्तान पुत्र मो0 इस्लाम निवासी मनिहर ख्वाजापुर, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा था वादी ने तलाश करते हुए रास्ते में रोक लिया तो अभियुक्त द्वारा हाथापाई, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गयी जिसके सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 220/2026 धारा 137(2), 87, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.08.2026 को उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा कड़छा मोड़, से अभियुक्त सुल्तान पुत्र मो0 इस्लाम, निवासी मनिहर ख्वाजापुर, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 220/2026 धारा 137(2)/87/115(2)/352/351(3) बीएनएस, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- सुल्तान पुत्र मो0 इस्लाम, निवासी मनिहर ख्वाजापुर, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 24 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 सागर सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।